प्रेषक,

(कमलेश कुमार पाठक),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0,
कानपुर देहात।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
कानपुर देहात।

महोदय,

महोदय के आदेशानुसार दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर में स्थित साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह(कैन्टीन) एवं तीन दुकानों की सील बन्द निविदा प्रकिया सम्पन्न की गयी थी। वित्तीय वर्ष–2016–17 के लिए उपरोक्त साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, तीनों दुकानों की निविदा प्रकिया में किसी के भाग न लेने के कारण कार्यवाही सम्पन्न न हो सकी। यह भी निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 –11105/Admin. (B-I)Section Dated-November 4, 2016 के माध्यम से दिये गए निर्देशों के अनुपालन में परिपत्र सं0 सी0 एल0 नं0–797/एडमिन(बजट–1) अनुभाग दिनांकित–15.03.1994 के अनुसार साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह(कैन्टीन) एवं तीन दुकानों का आवंटन सील बन्द निविदा के आधार पर पुनः किया जाना है।

अतः साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह(कैन्टीन), व स्टेशनरी, फोटोकापी, टाईपिंग हेतु दुकानों का आवंटन सील बन्द निविदाओं के आधार पर किया जाना है। दीवानी न्यायालय कानपुर देहात के परिसर में स्थित साइकिल स्टैण्ड ,जलपान गृह(कैन्टीन) एवं तीन दुकानों की निविदा की शर्ते एवं नियम व प्रेस विज्ञप्ति प्रार्थना पत्र के साथ महोदय के सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक आदेशार्थ संलग्न है।

सादर।

दिनांक–22.11..2016

Approved
22-11-16

भवदीय,
24/11/16
(कमलेश कुमार पाठक),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0,
कानपुर देहात।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर देहात के आदेशानुसार दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर में स्थित साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह एवं तीन दुकानों को ठेके पर उठाया जाना है जिसकें सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्तियों से सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह एवं तीन दुकानों को ठेके पर उठाने की प्रकिया में निविदा की शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त पात्र व्यकित सील बन्द निविदा के माध्यम से नियमानुसार भाग ले सकते हैं। सील बन्द निविदाओं को समिति के सदस्यों व निविदाकर्तों के समक्ष दि0 06.12.16 को सांयकाल–4:00 बजे दीवानी न्यायालय कानपुर देहात में खोला जायेगा। निविदा की शर्तो को केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय कानपुर देहात के कर्यालय अथवा नजारत की सूचना पट से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 से 5:00 बजे तक अवलोकित कर सकते हैं।

इसके साथ ही निविदा की सूचना तथा शर्ते जनपद न्यायालय कानपुर देहात के वेबसाइट eCourts.gov.in/kanpurdehat पर भी उपलब्ध हैं।

आज्ञा से

24.11.16

कृते जनपद न्यायाधीश
कानपुर देहात।

निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय,कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिणी–पूर्वी कोने ओर स्थित साइकिल स्टैण्ड एवं दक्षिणी–पश्चिमी कोने ओर स्थित जलपान गृह एवं तीन दुकानों के नीलामी हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु दिनांक–06.12.16 को समय 4.00 बजें दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त 1.साइकिल स्टैण्ड,2. जलपान गृह, 3.स्टेशनरी शाप, 4.फोटोकापी शाप एवं 5. टाइपिंग शाप की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण कर सील बन्द निविदा प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं–

निविदा की शर्ते व नियम

1. ठेके देने की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
2. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी,फोटोकापी एवं टाइपिंग शाप का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
3. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी, फोटोकापी एवं टाईपिंग शाप को ठेके पर उठाने की प्रकिया में में भाग लेने वाले व्यक्ति को सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित के सम्मुख अंकित धनराशि का बैंक ड्राफट प्रस्तुत करना होगा। जो श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।

1. **साइकिल स्टैण्डः–** सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–25,000/–
2. **जलपान गृहः–** सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–20,000/–
3. **स्टेशनरी शापः–** सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–
4. **फोटोकापी शापः–** सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–
5. **टाईपिंग शापः–** सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–

4. निविदा के साथ उपराक्त धनराशि की डी0डी0 भी जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दीवानी न्यायालय कानपुर देहात में नहीं होना चाहिए।

6. स्वीकृत निविदा के उपरान्त निविदादाता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि दि0 09.12.16 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि मुल राशि में समायोजित की जाएगी।

7. स्वीकृत के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत हागी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की <u>1/4</u> धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।

8. ठेके की अन्तिम स्वीकृति श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।

9. निविदा प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।।

10. उपरोक्त दुकानों के उपयोग की अवधि दि0 31.03.17 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा दुकान का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–22.11.16 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

दिनांक–22.11.2016

22/11/16

(कमलेश कुमार पाठक),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0,
कानपुर देहात।